

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/अधीक्षक,
सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 21/10/2026

विषय :- बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के चिकित्सक शिक्षकों के Online ePAR (SPARROW System) आलेखन के संदर्भ में Reporting, Reviewing and Accepting Authority नामित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय परिपत्र सं०-1466(2) दिनांक-26.09.2022 के द्वारा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के चिकित्सक शिक्षकों (सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर/सहायक प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/प्राध्यापक) के लिए Reporting, Reviewing and Accepting Authority नामित किया गया था। उक्त विभागीय परिपत्र में अल्प संशोधन करते हुये बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के चिकित्सक शिक्षकों (सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर/सहायक प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/प्राध्यापक) के लिए Reporting, Reviewing and Accepting Authority निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है:-

	A सीनियर रेजिडेन्ट (BHS)/ट्यूटर (BHS)/सहायक प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/प्राध्यापक	
(i)	Reporting	विभागाध्यक्ष
(ii)	Reviewing	प्राचार्य/अधीक्षक
(iii)	Accepting	विशेष सचिव (बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के वरीय प्रभारी)
	B विभागाध्यक्ष/अधीक्षक	
(i)	Reporting	प्राचार्य
(ii)	Reviewing	विशेष सचिव (बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के वरीय प्रभारी)
(iii)	Accepting	सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव
	C प्राचार्य	
(i)	Reporting	विशेष सचिव (बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के वरीय प्रभारी)
(ii)	Reviewing	सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव
(iii)	Accepting	विभागीय मंत्री

2. उक्त विभागीय परिपत्र सं०-1466(2) दिनांक-26.09.2022 का शेष भाग यथावत रहेंगे।

3. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

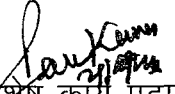
(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

-सह-

संयुक्त सचिव।

झापांक-17/वि०-01-218/2025- 1225(17) /पटना, दिनांक- 21/09/2026
प्रतिलिपि:- आईटी०मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने
हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

—सह—

सयुक्त सचिव।

MKJ